12 10/22

पत्रावली मे आज वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने के कारण पत्रावली पेश हुई। वादी ~~बैलाश~~ सलावट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगणो के मध्य हमारे आपसी राजीनामा हो गया है और वादपत्र मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहते और वादपत्र को इसी स्टेज पर खारिज करवाना फरमाया जावे।

अतः वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 को वादी द्वारा पेश राजीनामा प्रार्थना पत्र के आधार खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा